71

–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 91/2018

उनवान

सूरजमल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नवाब, नसीराबाद
——वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. छोटू पुत्र रणमा
2. माना पुत्र हमीरा मृत जरियें वारिस
2/1. गंगाराम
2/2. लक्ष्मण
2/3. गंगादेवी
2/4. थैलीदेवी पि. माना समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नवाब, नसीरा
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 181, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नवाब के खाता संख्या 396/401 किता 23 रकबा 6.18 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादी ने स्टेट बैंक तिहारी से ऋण भी प्राप्त किया है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.60, 1733 रकबा 1.14 व 1734/2024 रकबा 0.73 की आराजी पर प्रतिवादीगण ने कुछ समय से जबरन बल प्रयोग कर वादी व उसके परिवार को बेदखल कर दिया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण लडाई–झगडा करते है तथा मिथ्या रिपोर्ट श्रीनगर थाने में दर्ज करायी गयी है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा प[illegible] जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट[illegible] जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब [illegible] किया कि आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख सन फसली 1359 व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 201[illegible]2027 में पुराना खसरा नम्बर 1158 रकबा 65–04–10 भूमि प[illegible]वाबकर्ता का कब्जा क[illegible]त्य 60 वर्षो से चला आ रहा है। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों को कब्जा चला आ रहा था। आराजी मुतनाजा पर वादी का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पेड चोरी करने की दर्ज करायी गयी है। वादी का आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:20 IST
Reason: SelfAttested

72

मुतनाजा पर कब्जा नही हाने व भूमि का अंकन वादी के नाम गलत होने के कारण आराजी मुतनाजा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को घोषित किया जावे। वादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। पुलिस थाना श्रीनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी पायी गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को भूमि से जबरन बेदखल किया गया है। अतः प्रतिदावा खारिज किया जावें।

वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी होने व प्रतिवादी अतिचारी होने से वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बेदखली का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण कदीमी कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किय बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा वादी के नाम गलत अंकित हो गयी है किन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया है जो आराजी मुतनाजा के वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण सिद्व करता हो। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर अपना कदीमी कब्जा काश्त बताते है किन्तु कब्जा सिद्व करने हेतु उनके द्वारा प्रकरण में मौखिक साक्ष्य भी पेश नही की है। लिखित व मौखिक साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के कथन सही सिद्व नही होते है। प्रतिवादीगण का कब्जा आराजी मुतनाजा पर वैध साबित करने हेतु पत्रावली पर ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य नही है। प्रतिवादीगण का कब्जा आराजी मुतनाजा पर विधिवत नही है। उसके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर किया गया कब्जा गैर कानूनी व अतिकमी के रूप में है। वाद में अंकित तथ्यों का कोई खण्डन पत्रावली पर नही है। वादी के कथन अखण्डनीय होने से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:20 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादी प्रतिवादीगण को बेदखल करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण साबित करने में असफल रहे है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में वादी की एकल खातेदारी की है। पूर्व राजस्व अभिलेख पत्रावलली में पेश नही किया गया है। प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा पर अपना कदीमी कब्जा सिद्व करने हेतु भी कोई

——3

दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है। अभिलेखिय साक्ष्य के अभाव में प्रतिदावे के कथन प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णायक सिद्व नही हाते है। तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हे।

उक्तानुसार ग्राम नवाब के खाता संख्या 396/401 के खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.60, 1733 रकबा 1.14 व 1734/2024 रकबा 0.73 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

73

उनवान
सूरजमल बनाम छोटू

दावा बाबत :– 181, 183, 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 91/2018
पेश करने की दिनांक – 02.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई सीताराम रावत राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नवाब के खाता संख्या 396/401 के खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.60, 1733 रकबा 1.14 व 1734/2024 रकबा 0.73 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद